न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2017 GCMS No. 2017/00082 नया नंबर 2022/235
दायरा तिथि : 01.03.2017
प्राथमिक डिक्री दिनांक : 27.06.2018 फाईनल डिक्री दिनांक 23-6-2022

वादी :–
स्व. वागाराम पुत्र मोतीजी जाति सिरवी के कायम मुकाम वारिशानः–
1/1 चेनाराम पुत्र वागाराम
1/2 गमनाराम पुत्र वागाराम
1/3 जमनो पुत्री वागाराम
1/4 कमला पुत्री वागाराम तमाम जाति सिरवी निवासीगण बाली
तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–
1. स्व0 ओटाराम पुत्र मोतीजी के वारिशानः–
 1/1 सूजाराम उर्फ सूरजमल पुत्र ओटारामजी
 1/2 नथाराम पुत्र ओटारामजी
 1/3 पुखराज पुत्र ओटाारामजी
 1/4 स्व0 दरगाराम पुत्र ओटारामजी के कामु.वारिशानः–
  1/4/1 श्रीमति जतनो पत्नि स्व0 दरगाराम
 1/5 श्रीमति कसनी पुत्री ओटारामजी
 1/6 श्रीमति सीता पुत्री ओटारामजी
2. स्व0 भगाराम पुत्र मोतीजी के वारिशानः–
 2/1 ताराराम पुत्र भगारामजी
 2/2 पोमाराम पुत्र भगारामजी
 2/3 स्व. मोडाराम पुत्र भगारामजी के वारिसान :–
  2/3/1 प्रवीण पुत्र मोडारामजी
  2/3/2 हितेश पुत्र मोडारामजी
  2/3/3 श्रीमति लीला पत्नि मोडारामजी
  बहैसियत खुद व बहैसियत कुदरती वलीया एवं
  संरक्षक अपने नाबालिग पुत्र प्रवीण व हितेश
3. स्व. नेमाराम पुत्र मोतीजी के वारिसान :–
 3/1 मोडाराम पुत्र नेमारामजी
 3/2 सखाराम पुत्र नेमारामजी
 3/3 दाकू पुत्री नेमारामजी
 3/4 श्रीमति गंगा पुत्री नेमारामजी
 3/5 श्रीमति नेनू पुत्री नेमारामजी
 3/6 श्रीमति मूली पुत्री नेमारामजी
 3/7 श्रीमति अंसीबाई पत्नि स्व. नेमारामजी
  जातिगण सिरवी, निवासीगण बाली
  तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री प्रदीप चौधरी ....अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/4/1, 2/3/3, 3/7 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.......पैरोकार सरकार

23-6-2022

: निर्णय :

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाली के पुराने खसरा नंबर 135, 136, 137, 138 कुल रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा भूमि दिनांक 10.12.1960 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की गई। जिस बेचान रजिस्ट्री के अनुसार अधिकार अभिलेखों में चारो भाईयो का बहिरसा बराबर दर्ज किया गया।

पेज लगातार—2

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
बाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//2//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2017 GCMS No. 2017/00082 नया नंबर 2022/

अनवान वागाराम के कामु. चेनाराम वगैरा बनाम ओटाराम के का.मु. सुजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956

जिसका इन्द्राज भू.प्रबन्ध पूर्व की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 मे हुआ। भू.प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् गत खसरा नंबर से कायम नये नम्बरो में वादग्रस्त भूमि के तीन अलग अलग खाते कायम करते हुये खाता संख्या 430, खाता संख्या 562, खाता संख्या 563 मे वादग्रस्त भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 626, 627, 639, 640, 641, 625, 628, 636, 637, 638, 1196, 1199, 1201 कुल खसरा 14 कुल रकबा 11.20 हैक्टर भूमि मौका स्थिति के विपरित असमान हिस्सो मे वादी व प्रतिवादीगणो के नाम भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा पृथक पृथक दर्ज कर दी। जिससे मौके पर काबिज अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 को बहिस्सा बराबर बराबर 2.80 हैक्टर (प्रत्येक को) खातेदार घोषित करते हुये मौके पर काबिज अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता ने भी वादी के वाद पत्र से सहमति व्यक्त करते हुये राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2018 केम्प कोर्ट बाली में दिनांक 27.06.2018 को मौके पर काबिज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर यानि 2.80 हैक्टर का खातेदार घोषित करते हुये विभाजन की डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नंबर से कायम नये नम्बरो मे अलग अलग खाते कायम करते हुये वादी व प्रतिवादीगण के नाम भूमि पृथक पृथक असमान रूप से मौका स्थिति के विपरित दर्ज करना प्रमाणित होने तथा भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करने हेतु दोनो पक्षो के अधिवक्ता सहमत होने से अवलोकन पत्रावली व सुनने उपस्थित पक्षकारान् व उनके अधिवक्तागण ग्राम बाली स्थित भूमि गत खसरा नंबर 135, 136, 137, 138 कुल रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 626, 627, 639, 640, 641, 625, 628, 636, 637, 638, 1196, 1199, 1201 कुल खसरा 14 कुल रकबा 11.20 हैक्टर मे दुरस्ती के जरिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर(2.80 हैक्टर) का खातेदार घोषित करते हुये मौका स्थिति अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2018 को मजमा–आम में जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवायी जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश पारित किये गये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0 /विविध /2019/ 3889 दिनांक 21.10.2019 से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
01	चेनाराम गमनाराम पि0 वाराम जमनो कमला पुत्रिया वागाराम कोम सिरवी सा. देह खातेदार (वादी वागाराम पुत्र मोतीजी फौत)	627 628 636 637 638	1.0667 1.1433 0.01 0.04 0.54	जाव सोयम जाव सोयम गै.मु. बेरा गै.मु. सडा जा.सो. 0.50 चा.सो. 0.04	7.4669 8.0031 – – 3.50 0.80	पीला रंग
		05	2.80	–	19.77	
02	मोडाराम सखाराम पि0 नेमाराम धाकू गंगा नेनू मूली पुत्री नेमाराम अंसीवाई पत्नि नेमाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	625 626 641	1.09 0.91 0.80 हैक्टर	जाव सोयम जाव सोयम चा.सो.0.10 जा.सो.0.70	7.63 6.37 0.40 4.90	गुलाबी रंग
		03	2.80	–	1930	
03	सुरजमल उर्फ सुजाराम नथाराम पुखराज पि. ओटाराम जतनो पत्नि दरगाराम कसनी सीता पुत्रिया ओटाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	627/1 628/1 639 640 641/1	1.0416 1.1184 0.01 0.04 0.59	जाव सोयम जाव सोयम गै.मु. बेरा गै.मु. सडा जा.सो 0.53 चा.सो.0.06	7.2912 7.8288 – – 3.71 2.80	हरा रंग
		05	2.80	–	21.63	
	ताराराम पोमाराम पि. भगाराम प्रवीण हितेश पि. मोडाराम लीलादेवी पत्नि मोडाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	627/2 628/2 638/1	1.0417 1.1183 0.64	जाव सोयम जाव सोयम जा.सो 0.51 चा.सो. 0.13	7.2919 7.8281 3.57 2.60	आसमानी रंग
		03	2.80	–	21.29	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2017 GCMS No. 2017/00082 नया नंबर 2022/

अनवान वागाराम के कामु. चेनाराम वगैरा बनाम ओटाराम के का.मु. सुजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व लोक अदालत में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के साथ वादी की मृत्यु होने से मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के साथ मृतक वादी वागाराम के वारिशान की ओर से वकालतनामा भी पेश किया गया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर ईजराय पत्रावली कायम करते हुये अधिवक्ता प्रतिवादी श्री प्रदीप चौधरी को तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील प्रतिवादी पक्ष श्री प्रदीप चौधरी ने भी तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने बहस के दौरान् यह भी दलील दी कि उनके द्वारा वादपत्र में कुल खसरा–14 वर्णित करते हुये कुल रकबा 11.20 हैक्टर अंकित करते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक के हिस्से बंट का रकबा 2.80 हैक्टर उल्लेखित किया गया था। जो कुल खसरा 14 न होकर कुल खसरा–10 ही है, तथा उसमें खाता संख्या 563 की भूमि शामिल नहीं है। अतः तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में उल्लेखित खाता संख्या 562 में वर्णित भूमियॉ यथा बाली के खसरा नंबर 625, 628, 636, 637, 638 कुल खसरा–5 कुल रकबा 570 हैक्टर तथा खाता संख्या 430 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 626, 627, 639, 640, 641 कुल खसरा–5 कुल रकबा 5.50 हैक्टर जुमले रकबा (5.70+5.50)=11.20 हैक्टर के सबंध में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बाली स्थित भूमि गत खसरा नंबर 135, 136, 137, 138 कुल रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा के भू. भाग से बने हाल खसरा नंबर 625, 628, 636, 637, 638, 626, 627, 639, 640, 641 कुल खसरा 10 कुल रकबा 11.20 हैक्टर कुल लगान 81.99 रूपये के सबंध में टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

क्र0 स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
01	चेनाराम गमनाराम पि0 वाराम जमनो कमला पुत्रिया वागाराम कोम सिरवी सा. देह खातेदार (वादी वागाराम पुत्र मोतीजी फौत)	627 628 636 637 638	1.0667 1.1433 0.01 0.04 0.54	जाव सोयम जाव सोयम गै.मु. बेरा गै.मु. सडा जा.सो. 0.50 चा.सो. 0.04	7.4669 8.0031 – – 3.50 0.80	पीला रंग
		05	2.80	–	19.77	
02	मोडाराम सखाराम पि0 नेमाराम धाकू गंगा नेनू मूली पुत्री नेमाराम अंसीबाई पत्नि नेमाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	625 626 641	1.09 0.91 0.80 हैक्टर	जाव सोयम जाव सोयम चा.सो.0.10 जा.सो.0.70	7.63 6.37 0.40 4.90	गुलाबी रंग
		03	2.80	–	1930	
03	सुरजमल उर्फ सुजाराम नथाराम पुखराज पि. ओटाराम जतनो पत्नि दरगाराम करानी सीता पुत्रिया ओटाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	627/1 628/1 639 640 641/1	1.0416 1.1184 0.01 0.04 0.59	जाव सोयम जाव सोयम गै.मु. बेरा गै.मु. सडा जा.सो 0.53 चा.सो.0.06	7.2912 7.8288 – – 3.71 2.80	हरा रंग
		05	2.80	–	21.63	
	ताराराम पोमाराम पि. भगाराम प्रवीण हितेश पि. मोडाराम लीलादेवी पत्नि मोडाराम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	627/2 628/2 638/1	1.0417 1.1183 0.64	जाव सोयम जाव सोयम जा.सो 0.51 चा.सो. 0.13	7.2919 7.8281 3.57 2.60	आसमानी रंग
		03	2.80	–	21.29	

पेज लगातार.......04

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

/ /42/ /

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 26 / 2017 RCMS No. 2017 / [illegible] नया नंबर 2022 /

सुजाराम कमीश बनाम ओटाराम के का.मु. सुजाराम कमीश अनवाल बागाराम के कामु. [illegible] कमीश

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

पटवारी हल्का, बाली व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि [illegible] रूपये के [illegible] पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)